निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 161/2024
दायरा दिनांकः—12.11.2024
निर्णय दिनांकः— 29.1.25

उनवान

प्रहलाद आयु 73 वर्ष पुत्र नन्नूलाल जाति मेहतर निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राजेश भार्गव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92,188, आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 385 रकबा 2.4660 हैक्टेयर वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संख्या 273 आंचोली संवत् 2076—2079 में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है। जो संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त आराजी वाके ग्राम माल आंचोली तहसील छबडा जिला बारां (राज०) के रेवेन्यू रिकार्ड में वादी के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी एवं पूर्व खातेदार अपनी—अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि सेटलमेन्ट सन् 1956/ संवत् 2012 एवं इससे पूर्व कभी भी एक क्षण के लिए माफियात रिज्यूमशन का कब्जा काश्त नहीं रहा। सरकार द्वारा माफियात रिज्यूमशन समाप्त की जा चुकी है तथा वर्तमान में राजस्व कानून के अनुसार माफियात रिज्यूमशन का कोई वर्चस्व / प्रभाव परिभाषा नहीं है। माफियात रिज्यूमशन को समाप्त करने पर भी राजस्व रिकार्ड से माफियात रिज्यूमशन के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड से नहीं हटाया गया। जिसके लिए वादी द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है। वादी के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन का नाम अंकित होने से वादी को अपनी भूमि की काश्तकारी, विकास व कृषि ऋण एवं अन्य सरकारी सहायता व अंतरण आदि में आए दिन परेशानी हो रही है। उक्त राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन अंकित होने से किसी भी व्यक्ति, सरकार व संस्था का कोई हक अधिकार व कोई दायित्व का निर्धारण हो रहा है। अकारण ही कई प्रकार की समस्या प्रोपर काश्तकारी, भूमि विकास व कृषि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ऋण एवं अन्य सरकारी सहायता व अंतरण आदि में आए दिन समस्या उत्पन्न हो रही है तथा काबिज काश्तकारों को उनका पूरा हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वादी उक्त विवादित भूमि के खाते राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में से माफियात रिज्यूमशन का इन्द्राज हटवाने का वैधानिक अधिकारी है। वादी एवं पूर्व खातेदार, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उनके साथ जो माफियात रिज्यूमशन दर्ज है, उनके नाम का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। वादी एवं पूर्व खातेदार का उक्त आराजी पर निरंतर 70 साल से अधिक समय से बिना किसी बाधा के निरंतर कब्जा काश्त होने एवं प्रतिकूल कब्जे के कारण उक्त भूमि पर वादी को स्वतः ही पूर्ण खातेदारी प्राप्त हो जाने पर वादी उक्त भूमि को तनहा खातेदार में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में से माफियात रिज्यूमशन का नाम हटवाने व वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने व खातेदारी की घोषणा के वैधानिक अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में माफियात रिज्यूमशन दर्ज होने के कारण उक्त भूमि के आस–पास के कृषक वादी को नाजायज रूप से परेशान कर लड़ाई–झगड़ा पर आमादा रहते हैं। जिससे वादी के शांतिपूवक उपयोग एवं उपभोग व न्यायौचित कार्यवाही में परेशानी आती है। यदि वादी के आस–पास के कृषक द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया तो अकारण ही वादी को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणामसवरुप वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असंभव है। वादी द्वारा उक्त भूमि के विकास करोने एवं कृषि लोन लेने, अंतरण व सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु कोई भी आवेदन करने पर माफियात रिज्यूमशन का खाते में इन्द्राज होने के कारण उक्त कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस संदर्भ में दिनांक 25.10.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा के समक्ष गया तो उनके द्वारा साफ इंकार करने एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर माफियात रिज्यूमशन को हटवाने तथा स्वयं कार्यवाही करने से इंकार किया गया। जिसके कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश हुई। वकील वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 327 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 326 नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 303 नकल खातोनी बन्दोबस्त ग्राम आंचोली सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 36 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित है। जो वादी के नाम दर्ज है वादी के नाम के साथ माफियात रिज्यूमशन दर्ज है वादी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 एवं इससे पूर्व कभी भी माफियात रिज्यूमशन दर्ज नही था। सरकार द्वारा माफियात रिज्यूमशन समाप्त की जा चुकी है माफियात रिज्यूमशन को समाप्त करने पर भी राजस्व रिकार्ड से रिज्यूमशन नही हटाया गया। राजस्व रिकार्ड में रिज्यूमशन दर्ज होने से भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विकास,कृषि,यन्त्र,एवं अन्य सरकारी सहायता व अन्तरण आदि में आये दिन परेशानी हो रही है खातेदार को उनका पूरा हक अधिकार नही मिल पा रहा है वादी विवादित आराजी से माफियात रिज्यूमशन का इन्द्राज हटवाने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम आंचोली में भूमि खसरा नम्बर 385 रकबा 2.4660 है प्रहलाद पुत्र नन्नूलाल हिस्स पूर्ण जाति मेहतर सा0देह छबडा माफियात रिज्यूमशन के नाम दर्ज रिकार्ड है राजस्व रिकार्ड आनॅलाईन होने से खाता जिम्मन नम्बर 4 में दर्ज होने से खाते में समस्त प्रकार के नामान्तरण दर्ज नही हो रहे है जिससे कृषक को सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नही है उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है भूमि पर माफियात रिज्यूमशन शब्द लगा हुआ है जिसके कारण काश्तकार को रहन अन्तरण आदि में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पडता है खातेदारों के हित में उक्त आराजी से नियमानुसार माफियात रिज्यूमशन हटाया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 327 में प्रहलाद पुत्र नन्नूलाल हिस्सा पूर्ण जाति मेहतर सा0देह छबडा माफियात रिज्यूमशन दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 326 में रिज्यूमशन प्रहलाद पुत्र नन्नूलाल जाति मेहतर सा0देह छबडा दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 303 में रिज्यूमशन भुवनेश कुमार पुत्र श्रीलाल जाति जाटव निवासी छबडा का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 1131 दिनांक 5.01.2013 से सम्पूर्ण खाता क्रेता प्रहलाद पुत्र नन्नूलाल जाति हरिजन निवासी छबडा के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल खतोनी बन्दोबस्त् सम्वत् 2012–31 में भागचन्द पुत्र रामहेत कोम चमार सा0देह महेशपुरा के नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी भागचन्द के नाम थी तब सम्वत् 2012–31 में रिज्यूमशन दर्ज नही था। भागचन्द के बाद विवादित भूमि भुवनेश पुत्र श्रीलाल जाटव के नाम दर्ज हुई उस समय रिज्यूमशन दर्ज था। खातेदार भुवनेश कुमार पुत्र श्रीलाल द्वारा भूमि का बेचान प्रहलाद पुत्र नन्नूलाल मेहतर को बेचान किया जो नामान्तरण संख्या 1131 से वादी के नाम दर्ज हुई परन्तु नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज था। तथा वर्तमान में भी रिज्यूमशन दर्ज है विवादित भूमि मे खातेदार के नाम के साथ खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 में रिज्यूमशन दर्ज नही था वाद में खातेदारी के नाम के साथ रिज्यूमशन दर्ज कर दिया गया। जिससे भूमि का स्थान्तरण/विधिक बेचान व अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने मे काश्तकार खातेदार को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

इस वाद को निर्णत करने हेतु यहां जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर0टी0एक्ट की धारा 15 विचाराधीन है :–

जागीरदारी एक्ट की धारा–9 :– "जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार,पट्टेदार,खादिमदार के रूप में या की अन्य रूप में जिसमें यहां अन्तहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवंशिक और पूर्ण अन्त के अधिकार प्राप्त है,दर्ज है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा "

आ0टी0एक्ट की धारा–15 :– प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि के शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी के अलावा अन्य प्रकार का आसामी हो या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुदकाश्त के आसामी या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 101 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन तथा उनके अनुसरण में भूमि का आवंटिती के अतिरिक्त आसामी की हैसियत से प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा जो इस अधिनियम के या राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्युमशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 (राज. एक्ट 6, सन् 1952) के अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में भूमि खातेदारी अधिकार अर्जित करता है खातेदार आसामी होगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए इस अधिनियम द्वारा खातेदार आसामी को प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा तथा आरोपित समस्त दायित्वों के अधीन रहेगा।

उपरोक्त के क्रम में ,इस प्रकरण में वादीगण जागीरदारी एक्ट की धारा 9 एवं आर. टी. एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदार कृषक होना साबित होता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा है। तथा माफी रिज्यूम होने से वादी को किसी प्रकार का ऋण आदि का लाभ नही मिल पा रहा है जिससें वादी को समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अतः जमाबन्दी से माफी रिज्युमशन हटाया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.4660 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 161/2024	धारा 88,89,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 29.1.25

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री राजेश भार्गव–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

प्रहलाद आयु 73 वर्ष पुत्र नन्नूलाल जाति मेहतर निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.4660 है0 भूमि में वादी के नाम से माफियात रिज्यूमशन शब्द हटाने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		